<u>न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला–बड़वानी (म०प्र0)</u>

आपराधिक प्रकरण कमांक 698 / 2014 संस्थन दिनांक 31.10.2014

म0प्र0	राज्य	द्वारा	आरक्षी	केन्द्र	ठीकरी,
जिला-	-बड़वा	नी (ग	न.प्र.)		

----अभियोगी

विरुद्व

1. रोशन पिता रेवाराम बलाई आयु— 25 वर्ष, निवासी—नई जलूद थाना मण्डलेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.)

————अभियुक्त

राज्य द्वारा – श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा – श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता । आरोपीगण असलम एवं ओमप्रकाश – फरार

<u>//निर्णय//</u>

(आज दिनांक 20.12.2017 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 200/2014 अंतर्गत धारा 11 (घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं धारा 3/181 व 146/196 मोटरयान अधिनियम में दिनांक 11.09. 2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 11.09.2014 को समय 2:30 बजे, ए.बी. रोड़, सेंगवाल फाटे के पास वाहन लोडिंग टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में नग 3 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर, वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, उक्त वाहन में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 3 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें उक्त वाहन में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने, उक्त

वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के एवं अबीमित होतु हुए चलाया के संबंध में धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं मोटरयान अधिनियम 3/181 व 146/196 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है ।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11.09.2014 को प्रधान आरक्षक बलिराम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि टेम्पों कमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में बैलों को ठूंस-ठूंसकर कूरतापूर्वक भरकर ए.बी. रोड़ से (महाराष्ट्र) वध हेतु ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वह पंच साक्षी हीरालाल व शाहरूखं उर्फ सरफराज के साथ ए.बी. रोड की ओर से आ रहे वाहन टेम्पों कमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 को रोककर चेक करने पर उसमें 3 बैल मुँह-पैर बंधे होकर परिवहन करते पाये गये तथा चालक सहित दो व्यक्ति बैठे हुये मिले पुलिस ने वाहन चालक का नाम-पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रोशन पिता रेवाराम निवासी- नई जल्द,थाना मण्डलेश्वर,असलम पिता नाहरू होना बताया था तथा बैलों को परिवहन करने संबंधी लायसेंस, खरीदी-बिकी तथा अन्य दस्तावेज पृछने पर आरोपी ने नहीं होना बताया तथा उसे साक्षियों के समक्ष आरोपी से वाहन लोडिंग टेम्पों कमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 मय 3 बैलों को जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा आरोपीगण के विरूद्व अपराध क्रमांक 200 / 2014 अंतर्गत धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 (घ) पशु करता अधिनियम एवं धारा 3 / 181 व 146 / 196 में प्रकरण पंजीबद्व कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्व की वाहन का मालिक आरोपी ओमप्रकाश होने से उसे इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्व किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया ।
- 04. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 11 (घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु पिरस्थिण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं धारा 3/181 व 146/196 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर आरोपी को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द0प्र0सं0 के परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है,बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये है,आरोपी असलम पिता नाहरू तथा ओमप्रकाश की लगातार अनुपस्थित के कारण उन्हें फरार घोषित कर स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किये गये तथा केवल आरोपी रोशन का निर्णय किया जा रहा है।

//3// आपराधिक प्रकरण कमांक 698/2014

- 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 11.09.2014 को समय 2:30 बजे, ए.बी. रोड़,सेंगवाल फाटे के पर वाहन लोडिंग टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में नग 3 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुॅह पैर बांधकर ले जा रहे थे ?
 - 2. क्या आरोपी ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के 3 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये ?
 - 3. क्या आरोपी ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 2 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतुउनका परिवहन किया ? यदि हां, तो उचित दंडाज्ञा ?
 - क्या आरोपी ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति के चलाया?
 - 5. क्या आरोपी ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अबीमित होते हुए चलाया?
- 6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में हीरालाल (अ.सा.1), शाहरूख उर्फ सरफराज (अ.सा.2), डॉ. के०एस० डोंगरे (अ.सा.3), बलीराम पाटीदार (अ.सा.4) एवं प्रशांतसिंह सोंलकी (अ.सा.5) के कथन लेखबद्व कराए गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2,3,4 एवं 5 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। बलिराम पाटीदार (अ.सा.४) का कथन है कि, वह आरोपी को जानता है। दि0 11.09.2014 को वह थाना ठीकरी पर प्र0 आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को रात्रि लगभग 2:30 बजे टेलीफोन पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी की

वाहन कं0 एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में बैंल को ठुस ठुस कर कुरतापूर्वक भर कर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे है, तब वह हमराह आरक्षक प्रशांत को साथ लेकर सेंगवाल फाटे की ओर पहुंचा जहां धामनोद की ओर से आने वाले वाहन को चेक करने पर एम.पी. 09 एल.पी. 4099 आते हुये दिखा जिसे रोककर चेक करने पर उसमे 3 बैंल सफेद रंग के जिनके मुंह और पैर बंधे हुये ठुस ठुस कुरतापूर्वक परिवहन करते हुये पाये गये उसने वाहन चला रहे व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोशन और साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम असलम बताया था आरोपी से बैंलों के परिवहन संबंधित दस्तावेज पूछने पर दस्तावेज नहीं होना बताया था,तथा बैंलो को महाराष्ट्र वध के लिये ले जाना बताया था। उसने पंच हीरालाल और शाहरूख के समक्ष 3 नग बैंल और वाहन को जप्त कर प्र0पी0 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि,उसने न्यायालय के आदेश से आरोपी को गिरफतार किया, उसने साक्षीगण हीरालाल, शाहरूख और आरक्षक प्रशांत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। जप्तशुदा बैंलो को वृंदावन गौ शाला अस्थाई सुपूर्दगी पर दिया था तथा जप्त बैंलो का मेडिकल परीक्षण करवाने के लिये पश् चिकित्सक ठीकरी को पत्र लिखा था। उसने जप्त बैलों और वाहन को राजसात करने हेत् पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला कलेक्टर बडवानी को पत्र भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, मुखबिर की सूचना से उन्होंने थाना प्रभारी को अवगत कराया था फिर मोटरसाईकिल से घटना स्थल गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, ए०बी० रोड पर बहुत से वाहन आते जाते रहते है। उनके घटना स्थल पर पहुंचने के 5 मिनिट बाद वाहन आ गया था उसे पंच साक्षी हीरालाल और शाहरूख सेंगावल फाटे के पास मिले थे । जो जायसवाल ढाबे से खाना खा कर आ रहे थे। उसने पंच साक्षियों को मुखबिर की सूचना बतायी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, अपराध दर्ज करने के पूर्व कोई गिरफतारी या जप्ती की जाती है तो उसमें थाने का अपराध कंमाक दर्ज नहीं होता है (नोट:- जप्ती पंचनामा प्र0पी० 1 पर थाने का अपराध कं0 200 / 14 लिखा है) साक्षी ने यह भी कथन किया है कि,उक्त पशुओं को महाराष्ट्र वध हेत् ले जाना आरोपीगण ने बताया था । (साक्षी का उक्त कथन आरोपीगण की संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के सामने होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है) साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है आरोपी ने पशुओं के क्रय विक्रय की रसीदे बतायी थी अथवा उसे मुखबिर से कोई सुचना प्राप्त नहीं ह्यी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, जब कार्यवाही की गयी थी तब उच्च अधिकारी उपस्थित थे,लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने अपने उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिये यह झुठा प्रकरण बनाया है या वह असत्य कथन कर रहा है।
- 9. प्रशांतिसंह सोंलकी (अ.सा.5) का कथन है कि,दि० 11.09.14 को थाना ठीकरी पर प्र0 आरक्षक बलिराम पाटीदार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि,टेम्पो कं0 एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में बैंलों को धामनोद से महाराष्ट्र ले जा रहे है तब उन्होंने

//5// आपराधिक प्रकरण कमांक 698/2014

साक्षी हीरालाल और शाहरूख को थाने पर बुलाया तथा वह चारों ए०बी०रोड सेंवाल फाटे पर गये थे जहां पर आने जाने वाले टैम्पों वाहन को चेक किया तथा धामनोद की ओर से सफेद रंग का टैम्पों वाहन कुं0 एम.पी. 09 एल.पी. 4099 आया जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। प्र0 आरक्षक बलिराम पाटीदार ने उनसे पृछताछ की तब उसमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम रोशन बताया तथा वाहन चेक करने पर उसमें 3 बैंल सफेद भरे रंग के भरे हुये थे। प्र0 आरक्षक बलिराम पाटीदार द्वारा उन व्यक्तियों से बैंलो के बारे में पछताछ करने पर उन्होने बैंलो को धामनोद से महाराष्ट राज्य वध करने के लिये जे जाना बताया था। मौके पर आरोपीगण से उक्त बैंल जप्त किये गये और उन्हें गिरफतार करके थाने पर लाये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसके पुलिस कथन प्र0डी० 1 में आरोपी का नाम नहीं लिखा गया है साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, हीरालाल (अ.सा.1) थाना ठीकरी के सामने टैम्पों में सवारी बैठाने का काम करता है तथा शाहरूख (अ.सा.2) ठीकरी थाने के सामने टैम्पों स्टेण्ड पर सवारी लाने ले जाने का काम करता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है सेंगवाल फाटे के बाद खरगोन जाने के लिये रास्ता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि. उसके प्र0डी0 1 के कथन में घटना का समय लेखबद्ध नहीं किया है,किन्तु साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, वह असत्य कथन कर रहा है।

- 10. डॉ० एस०के०दांगौडे (अ.सा.३) का कथन है कि, दि० 11.09.14 को पशु चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी से पत्र कं० क्यू/2014 द्वारा जप्त 3 बैंलों का मेडिकल परीक्षण करने हेतु प्राप्त होने पर उसने उसी दिनांक को वृदांवन गौ शाला पहुंचकर उक्त 3 बैंलों का परीक्षण किया था। उसके द्वारा उक्त 3 बैंलों का परीक्षण करने पर पहला बैंल सफेद भुरा रंगा का जिसके सिंग ऊपर की ओर मुडे हुऐ तथा पूंछ काली थी,जिसकी आयु 9 वर्ष की थी,उसकी पूछ पर रगड के निशान होना पाये थे,दूसरा बैंल सफेद रंग का सिंग ऊपर जिसकी उम्र लगभग साढे आठ साल तथा तीसरा बैंल जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी उक्त तीनों बैंलो को रगड के निशान थे उक्त तीनों बैल कृषि कार्य के लिये उपयोगी थी साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी० 6 भी प्रमाणित किया है बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, बैंलों को आयी चोटे दीवार से रगडाने या किसी वस्तु से टकराने से आ सकती है।
- 11. हीरालाल (अ.सा.1) तथा शाहरूख उर्फ सरफराज (अ.सा.2) आरोपी से उक्त बैंलों को जप्त करने के साक्षीगण है,किन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों को पहचाने और उनके सामने पुलिस द्वारा कोई भी जप्ती की कार्यावाही करने से इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्ण रूप से खंडन किया है साक्षियों के केवल प्र0पी0 1,2 व 3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है साक्षियों का स्पष्ट कथन है कि, वह ठीकरी थाने के सामने टैम्पों में सवारी बैठाने का काम करते है और पुलिस उन्हें कई बार बुलाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लेती है।उक्त दोनो ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित

घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि दिनां 11.09.14 को पुलिस ने उन्हें टैम्पों नंबर एम.पी. 09 एल.पी. 4099 में बैंलों को कुरता पूर्वक महाराष्ट्र वध हेतु ले जाने की सूचना बतायी थी। साक्षियों ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि,फिर वे पुलिस के साथ सेंगवाल फाटा ए०बीरोड पर गये थे वहां पर उक्त टैम्पों में 3 नग बैंलो को कुरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते हुये आरोपी के आधिपत्य से जप्त किये गये थे। यहां तक की साक्षियों ने पुलिस को उनके कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, उनका पुलिस के साथ सेंगवाल फाटे पर जाने का कभी कोई काम नहीं पडा। उन्होंने प्र0पी0 1 से 3 पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने से थाने पर हस्ताक्षर किये थे पुलिस ने उनसे कई बार पहले भी कई प्रकरणों में हस्ताक्षर करवाये तथा हस्ताक्षर करते समय उक्त दस्तावेज कोरे थे।

- 12. उक्त दोनो ही साक्षियों ने थाना ठीकरी के सामने एजेंटी करना स्वीकार किया है। बिलराम पाटीदार (अ.सा.4) ने उक्त दोनो ही पंच साक्षियों को सेगवाल फाटे पर मिलना बताया है जबिक उक्त दोनो ही साक्षियों को थाना ठीकरी पर बुलाना प्रशांत सोंलकी (अ.सा.5) ने बताया है उक्त साक्षी ने यह कथन किया है उक्त दोनो पंच सािक्षयों को लेकर सेंगवाल फाटे गये थे। इस प्रकार उक्त दोनो ही सािक्षयों के जप्ती के समय उपस्थिति शंकास्पद हो जाती है तथा दोनों पुलिस अधिकारियों के कथनों भी विरोधाभास सािक्षयों की उपस्थिति के संबंध में बिलराम पाटीदार (अ.सा.4) ने यह भी स्वीकार कियाहै कि, अपराध दर्ज करने के पूर्व यदि कोई जप्ती या गिरफतारी की जाती है तो उसमे थाने का अपराध कमांक दर्ज नहीं होता है लेकिन प्रकरण में पेश जप्ती पंचनामा प्र0 पीठ 1 में जप्ती की दिनांक 11.09.2014 राित्र 2:30 बजे पर थाने का अपराध कंठ 200/2014 लिखा हुआ है,लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिनांक को राित्र 3:30 बजे लिखी गयी है। जिसका कोई भी स्पष्टीकरण उक्त सािक्षी या अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में भी अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है।
- 13. घटना स्थल पर जाने और वापसी की रोजनामचें की प्रतिलिपि को अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबिक जप्ती पंचनामें के दोनो साक्षी पक्ष विरोधी रहे और उन्होंने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है बिल्क उक्त हस्ताक्षर कोरे दस्तावेजों पर थाने पर करना बताया है। जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 पर थाने के अपराध कंमांक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही लिखे जानें से भी अभियोजन का प्रकरण संदिग्ध हो जाता है। जप्ती के संबंध में बिलराम पाटीदार (अ.सा.4) के कथनों की पुष्टि किसी भी स्वतंत्र साक्षियों से नहीं हुयी है तो जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य तथा पुलिस आरक्षक श्री प्रशांत सोंलकी के कथनों के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है, आरोपी के विरूद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

//7// आपराधिक प्रकरण कमांक 698/2014

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में आरोपी के विरूद्व आरोपित अपराध से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव आरोपी रोशन पिता रेवाराम निवासी नई जलुद थाना मंडलेश्वर जिला खरगोन म0प्र0 को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम,2004 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 3/181 व 146/196 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। चूंकि प्रकरण के आरोपी असलम और ओमप्रकाश फरार है इसलिये जप्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है प्रकरण सुरक्षित रखने की

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी म०प्र0 मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी म0प्र0